फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय का नाम—उपखण्ड अधिकारी जोबनेर

केस सं० /2023

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो [signature] 13/4/23 उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर	
	25/5/2023	प्रार्थीगण मनीष कुमार एवं जगदीश प्रसाद यादव द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 के कैम्प कोर्ट ग्राम करणसर में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151, 152 CPC का पेश किया जाने पर पत्रावली आज की पेशी में तलब की गई। सरकार पैरोकार उपस्थित। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि अप्रार्थी सं. 5 मुश्ताक अली का हिस्सा 1/7 को दिनांक 26/3/22 को प्रार्थी मनीष कुमार द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के खरीद कर लिया गया है तथा इसी प्रकार शेष प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण सं. 2, 3, 4, 6 व 7 का हिस्सा 5/7 को दिनांक 21/7/2022 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के प्रार्थीगण मनीष कुमार व जगदीश प्रसाद यादव द्वारा क्रय कर लिया गया है। प्रार्थीगण कारणवश उक्त भूमि का अपने नाम नामान्तरण नहीं खुलवा सके। प्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि का अपने नाम से नामान्तरण खुलवा कर, विभाजन करवा कर, संपरिवर्तन कराना चाहते हैं। इसलिए पूर्व में जारी आज्ञप्ति निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 13/4/2023 में संशोधन किया जाना	

[signature]

फर्द अहकाम

राज. सरकार बनाम प्रार्थीगण

न्यायालय का नाम–उपखण्ड अधिकारी जोबनेर

केस सं0 / 2023

क्र0सं0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	25/5/23	आवश्यक है। जिससे प्रार्थीगण अपने नाम से उक्त भूमि का नामान्तरण खुलवा कर संपरिवर्तन की कार्यवाही कर सके। बहस प्रार्थीगण पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी नं. 2 ता 7 का सम्पूर्ण हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्रों के खरीद कर लिया गया। अप्रार्थी नं. 2 ता 7 का वर्तमान में उक्त भूमि में कोई एक हिस्सा शेष नहीं रहने से प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी नं. 2 ता 7 के स्थान पर दर्ज होना न्यायोचित है साथ ही प्रार्थना पत्र/वाद पत्र भूमि के वास्तविक मालिक के विरुद्ध ही चलाया जा सकता है। अतः न्यायालय के आदेश दिनांक 13/4/2023 में इस हद तक आंशिक संशोधन किया जाता है कि अप्रार्थीगण नं. 2 ता 7 के स्थान पर पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 26/3/2022 व पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 21/7/2022 में दर्ज हिस्से अनुसार प्रार्थीगण अपने नाम नामान्तरण खुलवावे। प्रार्थीगण मनीष कुमार एवं जगदीश प्रसाद यादव का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे तथा अप्रार्थी नं. 2 ता 7 का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया	

फर्द अहकाम

राज. सरकार वनाम आमीन बगैरा

न्यायालय का नाम–उपखण्ड अधिकारी जोवनेर

केस सं0 /2023

क्र0सं0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	23/5/23	किया जावे। निर्णय लिखाया जाकर मजले आम में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर	